मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र. 6353 /22/वि–12/ग्रासप्रा/संधारण/18 भोपाल दिनांक 27/03/18

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त),
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,
..............(म.प्र.)

विषय :– ई–मार्ग पर 10 वर्ष पश्चात संधारण कार्यों के भुगतान के संबंध में।

–0–

ई–मार्ग के माध्यम से 5 वर्ष अंतर्गत तथा 5 वर्ष पश्चात संधारण का भुगतान किया जा रहा है। 01 अप्रैल 2018 से 10 वर्ष पश्चात संधारण अंतर्गत कार्यों का भुगतान भी ई–मार्ग से किया जाएगा। इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं–

1. 10 वर्ष पश्चात संधारण (PTN) में विगत 2 वर्षों से मार्गों का संधारण किया जा रहा है। PTN में संधारण के पूर्व इन मार्गों पर 5 वर्ष पश्चात संधारण (MTN) के तहत ई–मार्ग के माध्यम से भुगतान किया गया है। पूर्व में दिये निर्देशों के अनुसार इन सभी मार्गों से संबंधित MTN पैकेज की Portal पर पूर्णता तिथि अंकित कर निर्धारित प्रक्रिया से पैकेज को पूर्ण करें। इस प्रक्रिया के बिना मार्ग ई–मार्ग पर PTN पैकेज बनाने के लिए मार्ग उपलब्ध नही हो सकता।
2. कुछ मार्गों पर MTN के दौरान मुख्यालय द्वारा किन्हीं कारणों से मेन्यूअल भुगतान की अनुमति दी गई थी। ऐसे मार्गों से संबंधित PTN पैकेज आगामी निर्देश तक ई–मार्ग से पृथक रहेंगे। इनमें अन्य विभागों को आंशिक हस्तांतरण अथवा अन्य कारणों से आंशिक रूप से संधारण से पृथक किये गये मार्ग तथा राज्य सम्पर्कता/मंडी निधि द्वारा निर्मित Non core network मार्ग सम्मिलित हैं। इन मार्गों के संबंध में पृथक से जानकारी संकलित कर ई–मार्ग में सम्मिलित किया जाएगा।
3. बिन्दु क्र. 1 के अनुसार ई–मार्ग पर MTN के जिन पैकेजों को पूर्ण कर दिया गया है, उनसे संबंधित मार्ग PTN पैकेज बनाने के लिए उपलब्ध हो जाएगे। अतः आवश्यक रूप से MTN अवधि पूर्ण कर चुके सभी पैकेजों को ई–मार्ग पोर्टल पर भी पूर्ण अंकित करें।
4. PTN पैकेज बनाने एवं मार्गो को सम्मिलित करने की प्रक्रिया वही है जो कि Pre 5 Maintenacne से Post 5 Maintenance के पैकेज बनाये जाने की है। इस प्रक्रिया में PTN पैकेज में पूर्व में सामान्य मेन्यूअल प्रक्रिया से किये गये समस्त भुगतान तथा रिन्यूवल के चेनेज अंकित किये जायेगे। अतः अभिलेखों से इस कार्य हेतु आवश्यक जानकारी संकलित कर तैयार रखे। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है। कि डाटा इंट्री में पूर्ण सावधानी रखी जाए एवं पुष्टि करने के उपरांत ही डाटा फ्रीज किया जाये। त्रुटिपूर्ण डाटा इंट्री के कारण गलत भुगतान पर संबधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. ई–मार्ग पर मार्गो की लंबाई तथा ट्रेफिक कर्व मूल निर्माण के पूर्व स्वीकृति के अनुसार ही रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। तथापि यदि MTN के दौरान IR के अंतर्गत कार्य संपादित कर लंबाई में वृद्धि की गई है, तो प्रविष्टि के लिए मुख्यालय पत्र प्रेषित करना होगा।

NIC द्वारा PTN पैकेज बनाने की सुविधा प्रभावी की जा चुकी है। सभी इकाईयां उपरोक्त निर्देशों के अनुसार PTN पैकेज ई–मार्ग पोर्टल पर बनाना प्रारंभ कर दे। **दिनांक 01.04.2018 के उपरांत PTN के सभी भुगतान ई–मार्ग से ही किए जाऐंगे।**

26/3

(एम.के.गुप्ता)
प्रमुख अभियंता
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल

क्र.   /22/वि–12/ग्रासप्रा/संधारण/18   भोपाल दिनांक   /03/18

प्रतिलिपि–

- मुख्य महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, ... (म.प्र.)
- वरिष्ठ तकनीकी निर्देशक, एन.आई.सी., विंध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)

– की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख अभियंता

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,भोपाल